कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ।

संख्या–एम0ई0–3/2017/4643

लखनऊ दिनांक:07 मार्च,2017

विज्ञाप्ति

उत्तर प्रदेश निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनयमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–4 (1) के अन्तर्गत् निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल पाठ्यकमों हेतु फीस नियमन के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश दिनांक–29अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है। उक्त अधिनियम 2006 की धारा 10(1) में किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रभारित की जाने वाले शुल्क को अवधारित किए जाने की व्यवस्था है। समिति फीस निर्धारण करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु समिति द्वारा निर्धारित फीस, मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों का शुल्क निर्धारित किए जाने के संबंध में उपरोक्त अधिनियम 2006 में उल्लिखित आधारों पर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव विगत् तीन वर्षो की ऑडिटेड बैलेंस शीट सहित निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा शासन के पत्र दिनांक–03 फरवरी, 06 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी व 15 फरवरी, 2017 द्वारा की गयी है, जिसके अनुपालन में महानिदेशालय के पत्र दिनांक–3 फरवरी, 8 फरवरी, 09 फरवरी, 16 फरवरी, 2017 तथा दिनांक–18 फरवरी, 2017 को समाचार पत्र में तथा पुनः महानिदेशालय के पत्र दिनांक–23 फरवरी, 2017 तथा दिनांक–01 मार्च, 2017 को समाचार पत्र के माध्यम से सभी निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों (अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर) को निर्धारित प्रारूप प्रेषित करते हुए वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गये।

अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक–06 मार्च, 2017 को आहूत बैठक में प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/संस्थानों की यू0जी0 व पी0जी0 की फीस निर्धारण हेतु समिति द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर शुल्क का निर्धारण कर दिया जाय व इसके सम्बन्ध में दिनांक–10 मार्च, 2017 को अन्तिम बैठक आयोजित की जाय, जिसमें सभी सम्बन्धित निजी मेडिकल/डेण्टल कालेजों/संस्थानों को सुनवाई हेतु आमंत्रित कर लिया जाय। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि उक्त दिनांक को सम्बन्धित निजी मेडिकल/डेण्टल कालेजों/संस्थानों से कोई उपस्थित नहीं होता है तो उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उनका शुल्क निर्धारित कर लिया जाय।

अतः फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक–10 मार्च,2017 को प्रातः 11.00 बजे से अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में जवाहर भवन के छठवे तल स्थित महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के मीटिंग हाल में आयोजित की गयी है, में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों के प्रधानाचार्य/प्रतिनिधि (अल्पसंख्यक संस्थाओं एवं जिन संस्थाओं की शुल्क पूर्व में निर्धारित की जा चुकी है, को छोड़कर) निर्धारित प्रारूप पर सूचना एवं विगत तीन वर्षो की आडिटेड बैलेन्स शीट सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

महानिदेशक

संख्या–एमई–3/2017/4643(i) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–दो।

2–मेसर्स एम0एम0 एडवरटाइजिंग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण लखनऊ, गोरखपुर, अमर उजाला, मेरठ, बरेली, दैनिक हिन्दुस्तान वाराणसी तथा टाइम्स आफ इण्डिया, उ0प्र0 के सभी संस्करणों में दिनांक–8.02.2017 को सूक्ष्म अक्षरों, न्यूनतम स्थान एवं डी0ए0वी0पी0 दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा प्रकाशनोपरान्त प्रकाशित प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

3–चेयरमैन/प्रधानाचार्य, उ0प्र0 के निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल/डेण्टल कालेजों (अल्पसंख्यक संस्थाओं एवं जिन संस्थाओं की शुल्क पूर्व में निर्धारित की जा चुकी है, को छोड़कर) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त बैठक(जिन कालेजों द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है, उन्हें छोड़कर) में निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करें।

(वी0 एन0 त्रिपाठी)

महानिदेशक